न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम अलवर (राज0)

अपील प्रकरण संख्या 12/89/2019

प्रवेश तिथि 23.09.19

अपीलार्थी	बनाम	प्रत्यर्थी
श्री प्रतापसिंह एडवोकेट, कोर्ट कैम्पस, बहरोड, तहसील बहरोड जिला अलवर (राज.)–301701		लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बहरोड़

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 03.10.2019

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ, अभिलेख पर लिया गया।
3. मैंने पत्रावली का परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 02.08.19 के माध्यम से बिन्दू सं0 1 में प्रत्यर्थी विभाग के श्री सुभाष यादव उपखण्ड अधिकारी बहरोड़ के अब तक के दौरान (कार्यकाल) बैंक ऋण वसूली कमीशन स्वीकृत करने हेतु जारी किये गऐ कार्यालय आदेशों की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराने एवं इस कार्यालय में उपस्थिति देने संबंधी पत्रों की प्रमाणित प्रतियां सहित बिन्दू सं. 2 के संबंध में सूचना चाही गई थी।
5. आवेदक को उपरोक्त प्रार्थना–पत्र दिनांकः 02.08.19 में वांछित सूचनायें नहीं मिलने के कारण प्रार्थना–पत्र दिनांकः 19.09.19 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
6. प्रथम अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी पक्ष को नोटिस क्रमांकः कोर्ट/ए.डी.एम.प्रथम/आर.टी.आई.अपील/2019/773–74 दिनांकः 23.09.19 के माध्यम तलब कर दिनांकः 03.10.19 को जवाब नोटिस के साथ उपस्थित होने हेतु आदेशित किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से जवाब प्राप्त हुआ। शामिल पत्रावली किया गया। प्रत्यर्थी की आरे कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और ना ही अपीलार्थी उपस्थित आया।
7. प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोक सूचना/2019/1405 दिनांक 01.10.2019 से जवाब अपील पेश किया गया जो अभिलेख पर लिया गया।
8. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा प्रथम आवेदन दिनांकः 02.08.19 में अंकित बिन्दू सं0 1 व 2 पर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा पत्रांक लोकसूचना/19/1195 दि. 28.08.19 के –

P.T.O.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

माध्यम से जबाव प्रेषित किया जा चुका है। प्रत्यर्थी द्वारा न्याया0 हाजा को प्रेषित जवाब के साथ संलग्न न्याया0 हाजा के नोटिस पत्रांक 773–74 दि0 23.09.19 पर भी अपीलार्थी द्वारा "उक्त सूचना की मुझे आवश्यकता नहीं है, प्रकरण को खारिज करने कृपा करें सूचना नहीं चाहिए" का अंकन किया गया है।

9. उक्त आलोक में अपील अपीलार्थी खारिज कर निस्तारित की जाती है।

10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

11. निर्णय घोषित ।

COURT OF THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0) ALWAR (RAJ.)

अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)